

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस10)
वाद सं0 : 1004 सन 2020
अनवान :-

1. सावत्री पत्नी धनपतराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी नेहरा वाली चक 22
आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजरव नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955
उपरिस्थित :- श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 27/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 216/209 के खसरा न0 252/2 की 10.8760हैक , खसरा न0 296/1 की 1.2900हैक खसरा न0 296/5 की 0.2270हैक कुल 12.3930हैक भूमि वादीया सयुक्त तौर से दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीया का पता ग्राम जनानिया अंकित किया गया है जबकि वादी का सही पता ढाणी नेहरावाली चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीया का पता गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही पता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है उक्त पता सभी दरतावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड विजली के बिल सभी में वादीया का पता ढाणी नेहरावाली चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीया पता ग्राम जनानिया तहसील नोहर दर्ज है जो गलत है।

वादीया का राजस्व रिकार्ड में पता गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादीया केवल राजस्व रिकार्ड में अपना पता संशोधन करवाना चाहता है।


अतः वादी का पता राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर ग्राम जनानिया के स्थान पर ढाणी नेहरावाली चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्तों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जवाब शामिल गिलरा किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 216/209 के खसरा न0 252/2 की 10.8760हैक , खसरा न0 296/1 की 1.2900हैक खसरा न0 296/5 की 0.2270हैक कुल 12.3930हैक भूमि वादीया सयुक्त तौर से दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीया का पता ग्राम जनानिया अंकित किया गया है जबकि वादी का सही पता ढाणी नेहरावाली चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीया का पता गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही पता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है उक्त पता सभी दरतावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दरतावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड विजली के बिल सभी में वादीया का पता ढाणी नेहरावाली चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीया पता ग्राम जनानिया तहसील नोहर दर्ज है जो गलत है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया का राजस्व रिकार्ड में पता गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादीया केवल राजस्व रिकार्ड में अपना पता संशोधन करवाना चाहता है वादीया का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 216/209 के खसरा न0 252/2 की 10.8760हैक् , खसरा न0 296/1 की 1.2900हैक् खसरा न0 296/5 की 0.2270हैक् कुल 12.3930हैक् भूमि वादीया सयुक्त तौर से दर्ज है जिसमें पता ग्राम जनानिया अंकित है।

वादी का कथन है कि वादी का पता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय नेहरावाली ढाणी चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के स्थान पर ग्राम जनानिया तहसील नोहर दर्ज किया गया है सही पता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का पता नेहरावाली ढाणी चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर दर्ज है व अपने कथनों के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत चक 29 आरडब्ल्यूडी का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मैना होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत 29 आरडब्ल्यूडी /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं सरपंच ग्राम पंचायत 29 आरडब्ल्यूडी के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 216/209 के खसरा न0 252/2 की 10.8760हैक् , खसरा न0 296/1 की 1.2900हैक् खसरा न0 296/5 की 0.2270हैक् कुल 12.3930हैक् भूमि वादीया का पता ग्राम जनानिया अंकित है के स्थान पर नेहरावाली ढाणी चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीब तकमील जाव्वा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (अधिकाश)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोवर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सावित्री पत्नी धनपतराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी नेहरावाली चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1004 सन 2020 निर्णय दिनांक- 27/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोवर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता

वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर

वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही

मौजा ननाउ के खाता संख्या 216/209 के खसरा न0 252/2 की 10.8760हैक् , खसरा न0

296/1 की 1.2900हैक् खसरा न0 296/5 की 0.2270हैक् कुल 12.3930हैक् भूमि वादीया का

पता ग्राम जनानिया अंकित है के स्थान पर नेहरावाली ढाणी चक 22 आरडब्ल्यूडी तहसील

रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय

वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)